


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 186/2025

शीर्षक प्रकाश

वनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेश हुआ। प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से रिपोर्ट ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम कुआंथल पटवार हल्का कुआंथल तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 249, 40, 41 में प्रकाश पुत्र दयासिन्धु के स्थान पर प्रकाश पुत्र दयाशंकर शुद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दयासिन्धु के स्थान पर दयाशंकर शुद्ध किया जाने के संबंध में प्रार्थी द्वारा उक्त खातों के सहखातेदारों की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दयासिन्धु के अन्य वारिसान द्वारा भी शुद्ध हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी के प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाने हेतु उपयुक्त नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: right;">  23/12/25 उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.) </p>	